

राजस्थान सरकार
कार्यालय आयुक्त, मिड-डे-मील कार्यक्रम

नवजीवन सहकारी बाजार (उपहार), प्रथम तल,
भवानी सिंह मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर-302001
सम्पक्र : 0141 - 2221694, 2221960 (टेली/फैक्स)
ई मेल-rajmdm@rediffmail.com

भारतीय जन योजना राजस्थान
Mid day Meal Scheme - Rajasthan

क्रमांक एफ.4(240)प्राशि/मिड-डे-मील/के.र.सू./पार्ट/2011/ 311-12 जयपुर, दिनांक:- 16-6-2017

जिला कलक्टर
जिला समस्त।

विषय:- मिड डे मील योजनान्तर्गत केन्द्रीयकृत रसोईघर से संबंधित नये दिशा-निर्देश।

संदर्भ:-मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या 375 दिनांक 16 मई 2017 एवं भारत सरकार का अ.शा. पत्रांक क्रमांक 9-7/2017-डेस्क(एमडीएम) दिनांक 26 अप्रैल 2017 व दिनांक 08 जून 2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत सरकार ने संदर्भित पत्रों द्वारा योजनान्तर्गत स्वयं सेवी संस्थाओं को कार्य आंशिक किये जाने के लिए 'मॉडल एमओयू' एवं संशोधित दिशा-निर्देश भिजवाये गये हैं।

अतः उक्त सभी पत्रों एवं अधिसूचना की प्रति संलग्न कर लेख है कि भविष्य में नये केन्द्रीयकृत रसोईघर खोलने/केन्द्रीयकृत रसोईघर के कार्यों का नवीनीकरण/विस्तारीकरण आदि के समय संदर्भित पत्रों, अधिसूचना की पालना अवश्य ही सुनिश्चित करावें।

संलग्न:-उपर्युक्तानुसार

भवदीय

(वेद सिंह)
आयुक्त

प्रतिलिपि,

1. जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, जिला समस्त, राजस्थान को प्रेषित कर लेख है कि भविष्य में मिड डे मील योजना में नये केन्द्रीयकृत रसोईघर खोलने / केन्द्रीयकृत रसोईघर के कार्यों का नवीनीकरण/विस्तारीकरण करने से पूर्व संदर्भित पत्रों, अधिसूचना का अध्ययन कर इनकी पालना अवश्य ही सुनिश्चित करें।

उपायुक्त(I&M)
मिड डे मील

उपर्युक्तानुसार पत्र जिलों को मन्.पर उपलब्ध कराये जा रहे हैं
एवं विभागीय वेब साइट www.mdmnrc.raj.nic.in पर उपलब्ध कराये
गये हैं।

क्षासा से